

समाज कल्याण विभाग
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,
दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02

तारांकित प्रश्न संख्या- 68

दिनांक - 22.03.2018

प्रश्नकर्ता - श्री ओम प्रकाश शर्मा

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

प्रश्न	उत्तर
<p>(क) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वे एक सुरक्षित, स्वस्थ, स्वतंत्र एवं सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें।</p>	<p>दिल्ली सरकार द्वारा दो वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बिन्दापुर स्थित वृद्धाश्रम। 2. लामपुर स्थित वृद्धाश्रम, जिसे गैर सरकारी संस्था दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के तहत चलाया जा रहा है। <p>वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा 10 नये वृद्धाश्रम खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है। इसके लिये विभाग को दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि आवंटित कर दी गई है।</p> <p>इस समय वृद्धों के मनोरंजन हेतु 111 वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केन्द्र चलाये जा रहे हैं जिनको दिल्ली सरकार वित्तीय मदद देती है। मनोरंजन केन्द्रों में वृद्धजनों के मनोरंजन के सामान व खेल सामग्री के अलावा स्वास्थ्य कैम्प, पुस्तकालय, योगा, सालाना दो पर्यटन यात्रा हेतु सुविधाएं भी दी जाती हैं। मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करने का एकमात्र उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके खाली समय में तनावमुक्त रहने और सामाजिक कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करना है। ये सुविधाएँ वरिष्ठ नागरिकों को उनके परिवार से जोड़े रखती हैं और दिन में जब उनके परिवार के लोग अपने कार्य तथा व्यवसाय के लिए जाते हैं तब वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की जिम्मेवारी उनके परिवार के लिए एक समस्या के रूप में नहीं रह जाती है।</p> <p>बच्चों या रिश्तेदारों द्वारा देखभाल न मिलने व सम्पत्ति विवाद की स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैट्रिनेंस एवं अपीलेट ट्रिब्यूनल का 11 जिलों में प्रावधान है।</p>

		<p>विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है जिसके अन्तर्गत 60-69 आयु वर्ग के वृद्धों को 2000/- रुपये प्रतिमाह एवं अनुसूचित जाति/जन जाति अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को अतिरिक्त 500/- रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है। तथा 70 और उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धों को 2500/- रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है।</p> <p>पात्रता-</p> <ul style="list-style-type: none"> • आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो। • प्रार्थी आवेदन करने से पूर्व दिल्ली का कम से कम पाँच वर्ष का निवासी हो। • परिवार की आय 1 लाख रु० वार्षिक से अधिक न हो। • प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो।
(ख)	क्या सरकार की वृद्धावस्था पेंशन को इफ्लेशनरी इंडेक्स से जोड़ने की कोई योजना है।	फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
(ग)	यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है।	उपरोक्त 'ख' के अनुसार लागू नहीं होता।
(घ)	वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांगता पेंशन के लाभार्थियों को उनकी पेंशन शीघ्रता से मिलना सुनिश्चित करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है; और	<p>जिन लाभार्थियों के खाता तथा आधार संख्या PFMS पोर्टल पर सत्यापित हो गए हैं उनको सुचारु रूप से पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो। • प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो।
(ङ)	इस वित्त वर्ष में इन श्रेणियों के पेंशन धारकों को पेंशन मिलने में हुई देरी के कारण, य उनका विवरण क्या है।	<p>सभी योग्य स्वीकृत लाभार्थियों को सुचारु रूप से पेंशन प्रेषित की जा रही है।</p> <p>इस वित्त वर्ष में इन श्रेणियों के पेंशन धारकों को पेंशन मिलने में हुई देरी के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज अपूर्ण होने पर। 2. दस्तावेज स्पष्ट न दिखाई देने के कारण।

3. आवेदक ने केवल पंजीकरण किया किंतु दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए।
4. दस्तावेजों में त्रुटि पाये जाने पर आवेदक द्वारा समय पर सही दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने के कारण।
5. सरकार के निर्णयानुसार ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा हेतु यूजर आईडी पासवर्ड दिल्ली के सभी सांसदों, विधायकों, निगम पार्षदों, जिला कार्यालयों को दिया गया तथा साथ ही व्यक्तिगत रूप से सीटिजन लॉगिन के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई, जिस कारण बड़ी संख्या में आवेदन विभाग के जिला कार्यालयों में सत्यापन एवं स्वीकृति के लिए एक साथ प्राप्त हुए। किंतु जिला कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी होने के कारण विभाग द्वारा अन्य कार्यालयों से सत्यापन हेतु अनेक कर्मचारियों को अपने कार्य के अतिरिक्त इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया, किंतु अंतिम स्वीकृति के लिए केवल जिला समाज कल्याण अधिकारी ही नियमानुसार अधिकृत हैं।

5. सरकार के निर्णयानुसार ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा हेतु यूजर आईडी पासवर्ड दिल्ली के सभी सांसदों, विधायकों, निगम पार्षदों, जिला कार्यालयों को दिया गया तथा साथ ही व्यक्तिगत रूप से सीटिजन लॉगिन के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई, जिस कारण बड़ी संख्या में आवेदन विभाग के जिला कार्यालयों में सत्यापन एवं स्वीकृति के लिए एक साथ प्राप्त हुए। किंतु जिला कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी होने के कारण विभाग द्वारा अन्य कार्यालयों से सत्यापन हेतु अनेक कर्मचारियों को अपने कार्य के अतिरिक्त इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया, किंतु अंतिम स्वीकृति के लिए केवल जिला समाज कल्याण अधिकारी ही नियमानुसार अधिकृत हैं।

[Handwritten Signature]
 Director (Social Welfare)
 Social Welfare Department
 Govt. of NCT of Delhi
 G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
 New Delhi-110002